

परिषद की

मेरठ जोन

के अन्तर्गत वसुन्धरा योजना/सिद्धार्थ विहार/
मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद मे रिक्त
आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों को प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर आवंटन/नीलामी

नीलामी स्थल:सेक्टर-3, सामुदायिक केन्द्र,
जागृति विहार, योजना सं0-6, मेरठ

आवंटन/नीलामी

तिथि

17.03.2020

समय: 11:00 बजे

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित



हमारा प्रयास  सबका आवास

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>

E-mail: info@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो



Bureau of Indian Standards

IS 15700



SQMS

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व0मी0 में	एफ0 ए0 आर	ग्राउण्ड कवरेज	अधिकत उंचाई मी0 में	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र0व0मी	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
-------------------------------	---------------	---------------------	-----------	----------------	---------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------

नीलामी से निस्तारित होने वाले व्यासायिक भूखण्ड/दुकान (एक करोड़ तक की सम्पत्तियों का विवरण)

व्यावसायिक भूखण्ड एल ब्लॉक (04 नग)	एल-1885/2 (Corner)	77.76	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	59136.00	4598415	459842
	आई0एस0 -116 (Corner)	156.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	59136.00	9225216	922522
	आई0एस0 -116/2	128.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	59136.00	6881280	688128
	आई0एस0 184	181.60	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	59136.00	9762816	976282
दुकानों के ब्लॉक (11 नग) शास्त्रीनगर योजना संख्या-3, मेरठ	K-1	8.062	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	59136.00	1160000	116000
	K-2,3,4, 12,15,16	9.099	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	59136.00	1309350	130935
	K-17,18, 22, 25	8.131	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	59136.00	1169900	116990

माधवपुरम, योजना संख्या-10 मेरठ (व्यावसायिक भूखण्ड)

व्यावसायिक भूखण्ड 80 व0मी0 तक सेक्टर-1 (08 नग)	1/CP-9	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	1/CP-10	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	1/CP-11	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	1/CP-12	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	1/CP-13 (Corner)	110.50	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	40656.00	4492488	449249
	1/CP-16	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	1/CP-17 (Corner)	117.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	40656.00	4756752	475675
	1/CP-20	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288

नीलामी से निस्तारित होने वाले आवासीय भूखण्ड

माधवपुरम, योजना संख्या-10 मेरठ

आवासीय भूखण्ड 171 व0मी0 से अधिक सेक्टर-1 (03 नग)	I/R-02	201.50	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	18480.00	3723720	186186
	I/R-09	201.50	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	18480.00	3723720	186186
	I/R-15	201.50	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	18480.00	3723720	186186
सेक्टर-2 (01 नग)	2/264	171.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	18480.00	3160080	158004
सेक्टर-4 (02 नग)	4/538	102.72	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	18480.00	1898266	94913
	4/543	179.10	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	18480.00	3309768	165488

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व०मी० में	एफ० ए० आर	ग्राउण्ड कवरेज	अधिकत उंचाई मी० में	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र०व०मी	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
-------------------------------	---------------	---------------------	-----------	----------------	---------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------

हापुड़ शहर की संजय विहार योजना संख्या-2 हापुड़

व्यावसायिक भूखण्ड (०१ नग)	५१	१४७.४५	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	१५६८०.००	१८४१६१६	९२०८१
---------------------------	----	--------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	---------	-------

आवंटन से निस्तारित होने वाले आवासीय भूखण्ड

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व०मी० में	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र०व०मी	आरक्षित मूल्य प्रति नग	पंजीकरण धनराशि
-------------------------------	---------------	---------------------	----------------------------------	------------------------	----------------

माधवपुरम योजना संख्या-१०, मेरठ

८० व०मी० तक के आवासीय भूखण्ड (०१ नग)	१ बी/९४२ कार्नर	३७.४४	२०३२८.००	७६१०८०	३८०५४
--------------------------------------	-----------------	-------	----------	--------	-------

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-११, मेरठ, (आवंटन प्रथम आगत प्रथम पावत पद्धति)

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	आवंटन कुल फ्लैट	क्षेत्रफल व०मी० में प्रति (फ्लैट)	तल	आरक्षित मूल्य प्रति नग	पंजीकरण की धनराशि
एफ-३२ प्रकार के फ्लैट	७२५ नग	३२.९५	भूतल	१२.१८	०.६१
			प्रथम तल	११.२७	०.५६
			द्वितीय तल	११.१७	०.५६
			तृतीय तल	११.०७	०.५५
एफ-५७ प्रकार के फ्लैट	३३७ नग	५७.८४	भूतल	२१.३६	१.०७
			प्रथम तल	१९.७२	०.९९
			द्वितीय तल	१९.५४	०.९८
			तृतीय तल	१९.३५	०.९७
एफ-६४ प्रकार के फ्लैट	३१० नग	६४.२४	भूतल	२९.००	१.४५
			प्रथम तल	२७.१४	१.३६
			द्वितीय तल	२६.९३	१.३५
			तृतीय तल	२६.७२	१.३४
एफ-१०० प्रकार के फ्लैट	३० नग	९९.८४	सभी तल	४६.५८	२.३३
एफ-१२७ प्रकार के फ्लैट	२९ नग	१२६.८१	सभी तल	५२.४८	२.६२

नोट :-

1. जागृति विहार (विस्तार) योजना सं०-11, मेरठ में निर्मित फ्लैटों का आवंटन प्रथम आगत प्रथम पावत पद्धति पर किया जा रहा है। फ्लैटों में कार्पस फण्डर जी०एस०टी एवं विज्ञापन व्यय अलग से देय होगा। इच्छुक आवेदक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सेक्टर-2 शास्त्री नगर मेरठ से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्लैटों का विवरण परिषद की वेबसाइट WWW.upavp.com पर भी उपलब्ध हैं।
2. जागृति विहार (विस्तार) योजना सं०-11, मेरठ के सेक्टर-3ए के पाकेट बी-1 में प्रस्तावित दुकानों के लिए 04 नग व्यावसायिक भूखण्ड (3ए/एस०सी०पी०-1, 3ए/एस०सी०पी०-2, 3ए/एस०सी०पी०-3, 3ए/एस०सी०पी०-4) नीलामी हेतु ऑफर प्राप्त हुए हैं। जिनका आरक्षण निर्धारित तिथि को प्रस्तावित है।
3. जागृति विहार (विस्तार) योजना सं०-11, मेरठ के सेक्टर-3 में स्थित 144 वर्ग मीटर के 50 नग आवासीय भूखण्डों का पात्रता ड्रा दिनांक 25.11.2019 एवं सेक्टर-5 में स्थित 128 वर्ग मीटर के 70 नग आवासीय भूखण्डों का पात्रता दिनांक 26.11.2019 को किया जा चुका है, पात्रता चयन आवंटन में सफल आवेदकों के मध्य आवासीय भूखण्डों का नम्बरिंग ड्रा भी निर्धारित तिथि को किया जाना प्रस्तावित है।



हमारा प्रयास  सबका आवास

वसुन्धरा योजना/ सिद्धार्थ विहार/मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में सिक्त आवासीय/ अनावासीय सम्पत्तियों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर आवंटन नीलामी स्थल : सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3 जागृति विहार, योजना सं0-6, मेरठ

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद सेक्टर-15 शिखर एन्क्लेव (आवासीय सम्पत्तियाँ)

सम्पत्ति की संख्या	सम्पत्ति की श्रेणी	क्षेत्रफल व0मी0 में	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु0 में)	पंजीकरण धनराशि
13	02 बी.एच.के. (छठे तल से नवे तल तक)	106.21	अनारक्षित	9078000.00	453900.00

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद सेक्टर-4 सी के दुर्बल आय वर्ग चार मंजिले (आवासीय सम्पत्तियाँ)

सम्पत्ति की संख्या	सम्पत्ति की श्रेणी	क्षेत्रफल व0मी0 में	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु0 में)	पंजीकरण धनराशि
एफ-37	4सी/4222 (तृतीय तल)	37.00	अनारक्षित	2502100.00	125150.00

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद सेक्टर-4 सी के दुर्बल आय वर्ग चार मंजिले (आवासीय सम्पत्तियाँ)

सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल	फ्लैट की श्रेणी	फ्लैट की संख्या	कुल मूल्य	पंजीकरण / टोकन धनराशि (रु0में)
बृहमपुत्र योजना	47.73	भूतल	67	3198400.00	160000.00
	47.73	प्रथम तल	26	2663400.00	133200.00
	47.73	द्वितीय तल	53	2603000.00	133200.00
	47.73	तृतीय तल	98	2543600.00	127200.00

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (आवासीय दुर्बल आयवर्ग फ्लैट)

सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल व0मी0 में	भवनो की संख्या	तल	धनराशि	पंजीकरण धनराशि 05 प्रतिशत	एक मुश्त धनराशि 10 प्रतिशत	रिमार्क
दुर्बल आय वर्ग	28.41	173	चार मंजिले	595000.00	29750.00	59500.00	विविध शुल्क आदि देय अलग से होगा तथा रु0- 1,00 लाख तक का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से निर्गत होना चाहिए

सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल	फ्लैट की श्रेणी	फ्लैट की संख्या	कुल मूल्य	पंजीकरण / टोकन धनराशि (रु0में)
दुर्बल आय वर्ग	30.72	द्वितीय तल	09	1225550.00	61300.00
दुर्बल आय वर्ग	30.72	तृतीय तल	04	1188750.00	59500.00

सिद्धार्थ विहार योजना के गंगा यमुना हिण्डन अपार्टमेन्ट (आवंटन द्वारा)

सम्पत्ति की श्रेणी	प्लैटो की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी0 में	कुल मूल्य लाख में	टोकन धनराशि लाख में (5 प्रतिशत)	एक माह के अन्दर देय धनराशि (लाख में)	शेष 85 प्रतिशत धराशि 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 120 मासिक किरतें	रिमार्क
हिण्डन अपार्टमेन्ट							मूल्य के अतिरिक्त कवर पार्किंग हेतु रू0 1.75 लाख खुली पार्किंग हेतु रू0 0.75 लाख अतिरिक्त देय होगा 1बी.एच.के. हेतु रू0 1.45 लाख एवं 2 बी.एच.के. + स्टडी हेतु रू0 1.75 लाख कार्पस फण्ड देय होगा सामान्य रखरखव हेतु रू0 1.50 प्रति वर्ग फुट अतिरिक्त देय होगा।
1 बी.एच.के.	34	41.66 से 42.66	49.65	2.49	4.97	अवशेष की 120 किरते	
2 बी.एच.के.	124	66.64 से 67.39	3.82	3.82	7.63	त्वेव	
यमुना अपार्टमेन्ट							
03 बी.एच.के.	127	108.32	93.37	4.67	9.34	त्वेव	
2 बी.एच.के. + स्टडी	181	97.47 से 98.30	91.70	4.59	9.17	त्वेव	
पेन्ट हाउस पर्ल	3	103.49	103.58	6.53	13.06	त्वेव	
पेन्ट हाउस रुबी	4	106.70	165.88	8.30	16.59	त्वेव	
गंगा अपार्टमेन्ट							
3 बी.एच.के.+स्टडी	7	94.93	130.80	6.54	13.08	त्वेव	
3 बी.एच.के.+स्टडी+टेरिस	7	101.87	147.14	7.36	14.72	त्वेव	
4 बी.एच.के. + स्टडी	113	108.70	149.62	7.49	14.97	त्वेव	
पेन्ट हाउस डायमण्ड	4	156.07	190.20	9.51	19.02	त्वेव	
मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (व्यावसायिक हॉल)							
सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	व्यावसायिक हॉल का नं	क्षेत्रफल	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य	टोकन धनराशि रू0 में	
व्यावसायिक हॉल	01	4A/H-1	96.09	सामान्य	6792000.00	679200.00	
व्यावसायिक हॉल	01	4A/H-2	86.82	सामान्य	6137000.00	613700.00	
व्यावसायिक हॉल	01	5/H-1	62.92	सामान्य	5972000.00	597200.00	
सम्पत्ति की श्रेणी	व्यावसायिक भूखण्डों का नं	क्षेत्रफल व0 मी0 में	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य प्रति वर्ग मी0	टोकन धनराशि रू0 में		
मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (व्यावसायिक भूखण्ड)							
व्यावसायिक भूखण्ड	17/कॉम-2	150.36	सामान्य	53760.00	808400.00		
व्यावसायिक भूखण्ड	17/कॉम-3	149.31	सामान्य	53760.00	802700.00		
व्यावसायिक भूखण्ड	17/कॉम-4	149.60	सामान्य	53760.00	804300.00		

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (छोटे व्यावसायिक भूखण्ड)

भूखण्ड की श्रेणी	भूखण्डों की संख्या	भूखण्डों का क्षेत्रफल	आरक्षित दर	आरक्षित मूल्य	टोकन धनराशि (10 प्रतिशत)
व्यावसायिक भूखण्ड	20	48.66 से 115.00 व०मी० तक	53760.00	2615970.00 से 6224340.00 तक	261600.00 से 622500.00 तक
व्यावसायिक भूखण्ड	02 (कार्नर)	50.00 से 55.58 व०मी० तक	59136.00	2956800.00 से 3286800.00 तक	295680.00 से 328700.00 तक

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद आवासीय प्लैट (आवंटन से)

सम्पत्ति की प्रकार	क्षेत्रफल व०मी० में	प्लैटों की संख्या	तलवार	धनराशि	पंजीकरण धनराशि (5 प्रतिशत)	एक मुश्त धनराशि (10 प्रतिशत)	रिमारक
आसरा-1	33.59	1390	भूतल	1364000	68200	136400	विविध शुल्क, कार पार्किंग, कार्पस फण्ड व जी.एस.टी. अलग से देय होगी
			प्रथम तल	1234000	61700	123400	
			द्वितीय तल	1219600	60980	121960	
			तृतीय तल	1205200	60260	120520	
आसरा-2	47.73	249	भूतल	2203000	110150	220300	
			प्रथम तल	1972000	98600	197200	
			द्वितीय तल	1946500	97325	194650	
			तृतीय तल	1920600	96030	192060	
सपना-1	64.72	166	भूतल	3773100	188655	377310	
			प्रथम तल	3460000	173000	346000	
			द्वितीय तल	3425000	171250	342500	
			तृतीय तल	3390500	169525	339050	
सपना-2	86.04	263	भूतल	4970000	248500	497000	
			प्रथम तल	4553600	227680	455360	
			द्वितीय तल	4507500	225375	450750	
			तृतीय तल	4461100	223055	446110	

नियम व शर्तें:-

नीलामी हेतु प्रमुख शर्तें

1. व्यावसायिक सम्पत्तियों में एफ0ए0आर0, संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्डों में एफ0ए0 आर0 एवं सम्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है। 2. सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश / परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को अनावासीय/आवासीय सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य की टोकन धनराशि उपरोक्तानुसार एवं कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तदनुसार बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अथवा पे-ऑर्डर जो कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद के पक्ष में देय हो आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं, सीलड बिड कार्यालय कार्य दिवस में नीलामी से पूर्व दिनांक तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में दी जा सकती है। टोकन दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या में कमी तथा क्षेत्रफल में कमी व वृद्धि हो सकती है। 3. व्यावसायिक भूखण्डों में आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा उ0प्र0 सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नीलामी से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। 4. सम्पत्तियों की एफ0ए0आर0 आदि की जानकारी वास्तुविद नियोजक इकाई-5, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है। 5. आवंटन से आवंटित होने वाली आवासीय सम्पत्ति के आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके पति/पत्नी/अवस्थक बच्चों के पास कोई भवन/भूखण्ड गाजियाबाद शहर में नहीं है। तथा उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा श्रेणी में वांछित एकमुश्त धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबंध के माध्यम से दिया जायेगा। आवेदन पत्र **₹ 100.00** का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सेक्टर-16ए, वसुधरा काम्प्लेक्स हाल एस-1, गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं तथा आवंटन से पूर्व दिनांक को **अपरान्ह 5.00 बजे** तक सहमति प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सम्पत्ति का आवंटन नीलामी सम्पन्न होने के उपरान्त किया जायेगा। आवंटन स्थल पर आवंटन हेतु आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं है, ऐसे आवेदन पत्रों को आगामी आवंटन में शामिल किया जा सकेगा। आसरा, सपना, गंगा, यमुना, हिण्डन परियोजनाओं में पार्किंग शुल्क, कार्पस फण्ड, जी0एस0टी0 फ्रथक से कब्जा पूर्व देय होगी। आसरा, सपना के भवनों में कार्पस फण्ड अलग से देय होगा। 6. दुर्बल आय वर्ग हेतु आवेदक की गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक आय **₹ 100000.00** के अन्तर्गत होनी चाहिए, उ0प्र0 का निवासी होना चाहिए। आय के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व **₹ 10** के स्टाम्प पेपर पर गाजियाबाद में कोई भवन/भूखण्ड न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मण्डोला योजना के सभी दुर्बल आय वर्ग भवनों के तलों का मूल्य समान है। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा एवं सम्पत्ति का कब्जा 10 प्रतिशत एकमुश्त लेने के बाद दिया जायेगा। शेष धनराशि का भुगतान 9.5 प्रतिशत ब्याज सहित 180 किश्तों में देय होगा। 7. किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त(म0) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आवास आयुक्त

शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ योजना संख्या –8) सहारनपुर/अशोक विहार योजना– खतौली– चरन विहार योजना बड़ौत में रिक्त अनावासीय/ आवासीय सम्पत्तियों को प्रप्त करने का सुनहरा अवसर गैर आवासीय सम्पत्तियां जिनका आवंटन सामान्य नीलामी द्वारा किया जाना है।

पठानपुरा योजना संख्या-1 (विवेक नगर सहारनपुर)

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	सम्पत्ति सं०	क्षेत्रफल व०मी० में	आरक्षित मूल्य लाख	टोकन मनी (लाख में)
दुकान (कुल नग)	S-19	9.62	6.69	0.67
	S-20	14.196	9.78	0.98

शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ योजना संख्या-8) सहारनपुर

सम्पत्तियों की श्रेणी/ प्रकार	सम्पत्ति सं०	आरक्षण	क्षेत्रफल व०मी० में	एफ.ए.आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई मी० में	आरक्षित भूमि दर (प्रति व०मी०) फी होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य लाख में	टोकन मनी (रु० लाख में)
प्रिमियम हाउस भूखण्ड 04 नग	3बी-173	ओ.बी.सी.	300.00	1.50	55 प्रतिशत	उपविधि के अनुसार	24948.00	74.85	7.49
	3बी-178	सामान्य	300.00	1.50	55 प्रतिशत	उपविधि के अनुसार	24948.00	74.85	7.49
	3डी-08	सामान्य	300.00	1.50	55 प्रतिशत	उपविधि के अनुसार	24948.00	74.85	7.49
	3डी-10	सामान्य	300.00	1.50	55 प्रतिशत	उपविधि के अनुसार	24948.00	74.85	7.49

नोट :- प्रिमियम हाउसेज भूखण्डो (प्री०हा०भू०) में भविष्य में अतिरिक्त शुल्क लेकर उनके भू-तल पर ही व्यावसायिक गतिविधियां निम्न प्रतिबन्धों के साथ एवं तत्समय लागू नियमों के अनुसार अनुमान्य की जा सकती है।

(क) भूखण्डों में सब डिवीजन/विकय अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) भविष्य में भू-तल पर व्यावसायिक गतिविधियों हेतु स्वयं के अतिरिक्त की दशा में अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(ग) प्रमियम भूखण्डों में मानचित्र स्वीकृति शुल्क व पार्किंग की गणना प्रस्तावित आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रफल के सापेक्ष परिषद में निम्न अनुसार अलग अलग गणना की जाएगी।

(घ) इन भूखण्डों में केवल तीन तल ही अनुमान्य होंगे व बेसमेन्ट की गणना तलो में की जाएगी, केवल भू-तल पर ही व्यावसायिक प्रयोग अनुमान्य होगा। बेसमेन्ट प्रयोग केवल भण्डारण /पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा।

(च) भविष्य में कय योग्य एफ.ए.आर. इन भूखण्डो पर अनुमन्य नहीं होगा।

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	एफ.ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी0 में)	आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री-होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु0 लाख में)
व्यावसायिक भूखण्ड (07)	बी.काम. 2	85.79	1.20	40 %	उप विधि के अनुसार	23688.00	20.33	2.03
	बी.काम. 3	78.20	1.20	40 %	उप विधि के अनुसार	23688.00	18.52	1.85
	बी.काम. 4	78.20	1.20	40 %	उप विधि के अनुसार	23688.00	18.52	1.85
	बी.काम. 5	88.32 कार्नर	1.20	40 %	उप विधि के अनुसार	25906.00	22.88	2.29
	बी.काम. 7	128.92	1.20	40 %	उप विधि के अनुसार	23688.00	30.54	3.05
	बी.काम. 8	140.17	1.20	40 %	उप विधि के अनुसार	23688.00	33.21	3.32
	बी.काम. 9	166.35	1.20	40 %	उप विधि के अनुसार	23688.00	39.41	3.94

सामान्य नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों (भूखण्डों) का विवरण : शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ योजना संख्या-8) सहारनपुर

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	सम्पत्ति संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	एफ.ए. आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री-होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु0 लाख में)
आवासीय भूखण्ड 10 नग	2बी/204 कार्नर	सामान्य	453.29	1.50	55 %	18296.00	82.94	4.15
	2बी/205	सामान्य	298.20	1.50	55 %	16632.00	49.50	2.48
	2बी/206	अन्य पिछड़ा वर्ग	297.00	1.50	55 %	16632.00	49.50	2.47
	2बी/207	अनुसूचित जाति	295.80	1.50	55 %	16632.00	49.50	2.46
	2बी/208	सामान्य	294.60	1.50	55 %	16632.00	49.50	2.45
	2बी/209	सामान्य	293.40	1.50	55 %	16632.00	48.80	2.44
	2बी/210	सामान्य वरिष्ठ नागरिक	292.20	1.50	55 %	16632.00	48.60	2.43
	2बी/211	अनुसूचित जाति	291.00	1.50	55 %	16632.00	48.40	2.42
	2बी/212	अन्य पिछड़ा वर्ग	289.80	1.50	55 %	16632.00	48.20	2.41
	2बी/213 कार्नर	अन्य पिछड़ा वर्ग	435.60	1.50	55 %	18296.00	79.70	3.99

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री-होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (रु० लाख में)	टोकन मनी (रु० लाख में)
आवासीय भूखण्ड 05 नग	बी-145	246.67	11088.00	27.36	1.37
	ए-130	660.00	11088.00	73.18	3.66
	ए-138/1	189.00	11088.00	20.96	1.05
	सी-201	98.88	11088.00	10.97	0.55
	सी-239 कार्नर	101.55	12197.00	12.39	0.62

सामान्य नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों (भवनों) का विवरण : शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ योजना संख्या-8) सहारनपुर

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	आरक्षित मूल्य (रु० लाख में)	टोकन मनी (रु० लाख में)
(67/162 प्रकार) सभी फिनिशड उच्च आय वर्ग भवन 02 नग	उडी-49	सामान्य	166.50	42.96	2.15
	उडी-51	सामान्य	166.50	42.96	2.15

आवंटन/लाट्री-ड्रॉ के माध्यम से निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों (आश्रय भूखण्ड एवं दुर्बल आय वर्ग भवन) का विवरण – अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री-होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (रु० लाख में)	टोकन मनी (रु० लाख में)
आश्रय भूखण्ड 01 नग	एफ-355	30.15	11088.00	3.35	0.17
आवासीय भूखण्ड 01 नग	एफ-129/1	46.20	11088.00	5.13	0.26

चरण विहार योजना, बड़ौत

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	आरक्षित मूल्य (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
दुर्बल आय वर्ग भवन 01 नग	2सी-238	40.32	12.53	0.63

नोट :- आश्रय भूखण्ड व दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु आवेदक की पूर्व वित्तीय वर्ष आय रू0 1,00,000/- जिसमें उसकी पत्नी व नाबालिक बच्चों की आय (यदि कुछ हो) भी सम्मिलित होगी, से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि हेतु आवेदक को अपने प्रार्थना के साथ संक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

2. आरक्षित वर्ग की सम्पत्ति में आवेदन करने हेतु आवेदक को संक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। प्रमाणित किया जाता है कि आवंटन योग्य सभी अवशेष रिक्त सम्पत्तियों का विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है तथा वर्तमान में ऐसी कोई भी सम्पत्ति अवशेष रिक्त नहीं है, जो आवंटन योग्य हो एवं उक्त का समावेश विज्ञापन में न किया गया हो।

नियम व शर्त:-

नीलामी हेतु प्रमुख शर्तें

1. व्यावसायिक सम्पत्तियों में एफ0ए0आर0, संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्डों में एफ0ए0 आर0 एवं सम्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है। 2. सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश / परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को अनावासीय/आवासीय सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य की टोकन धनराशि उपरोक्तानुसार एवं कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तदनुसार बैंक ड्राफ्ट/बैंक्स चैक अथवा पे-ऑर्डर जो कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद के पक्ष में देय हो आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं, सीलड बिड कार्यालय कार्य दिवस में नीलामी से पूर्व दिनांक तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में दी जा सकती है। टोकन दिनांक को प्रातः 10.00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या में कमी तथा क्षेत्रफल में कमी व वृद्धि हो सकती है। 3. व्यावसायिक भूखण्डों में आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा उ0प्र0 सरकार के संक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नीलामी से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। 4. सम्पत्तियों की एफ0ए0आर0 आदि की जानकारी वास्तुविद नियोजक इकाई-5, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लैक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है। 5. आवंटन से आवंटित होने वाली आवासीय सम्पत्ति के आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके पति/पत्नी/अवस्यक बच्चों के पास कोई भवन/भूखण्ड गाजियाबाद शहर में नहीं है। तथा उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा श्रेणी में वांछित एकमुश्त धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबंध के माध्यम से दिया जायेगा। आवेदन पत्र रू0 100.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सेक्टर-16ए, वसुधरा काम्प्लैक्स हाल एस-1, गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं तथा आवंटन से पूर्व दिनांक को अपरान्ह 5.00 बजे तक सहमति प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सम्पत्ति का आवंटन नीलामी सम्पन्न होने के उपरान्त किया जायेगा। आवंटन स्थल पर आवंटन हेतु आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं है, ऐसे आवेदन पत्रों को आगामी आवंटन में शामिल किया जा सकेगा। आसरा, सपना, गंगा, यमुना, हिण्डन परियोजनाओं में पार्किंग शुल्क, कार्पस फण्ड, जी0एस0टी0 पृथक से कब्जा पूर्व देय होगी। आसरा, सपना के भवनों में कार्पस फण्ड अलग से देय होगा। 6. दुर्बल आय वर्ग हेतु आवेदक की गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक आय रू0 100000.00 के अन्तर्गत होनी चाहिए, उ0प्र0 का निवासी होना चाहिए। आय के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर गाजियाबाद में कोई भवन/भूखण्ड न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मण्डोला योजना के सभी दुर्बल आय वर्ग भवनों के तलों का मूल्य समान है। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा एवं सम्पत्ति का कब्जा 10 प्रतिशत एकमुश्त लेने के बाद दिया जायेगा। शेष धनराशि का भुगतान 9.5 प्रतिशत ब्याज सहित 180 किशतों में देय होगा। 7. किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त(म0) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आवास आयुक्त



विस्तृत जानकारी के लिए कृपया परिषद के
टोल फ्री 1800 180 5333
दूरभाष: 0522-2236803
या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
IS 15700:2005 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website : <http://www.upavp.com>
E-mail: info@upavp.com



सेवोत्तम प्रमाणित



भारतीय मानक ब्यूरो

Bureau of Indian Standards



IS 15700

SQMS

